विधान परिषद् के प्रथम सत्र-2025 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तरालेखः-

प्रश्न सं	प्रश्न	उत्तर
8(क)	क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र, पत्रांक संख्या-क- 084341 जो मुख्यमंत्री को संबोधित एवं प्रदेश के राजकीय हाईस्कूलों में कार्यरत अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापकों के साथ किये जा रहे अन्याय को रोकने विषयक है, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
8(ख)	यदि हाँ तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कार्यवाही की माँग की गयी है?	उक्त पत्र में कुल 09 निम्नवत् बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली-1992 में संशोधन से पूर्व तत्काल अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापकों/प्रधानाध्यापिकाओं की पदोन्नति कराते हुए तैनाती की माँग की गयी हैः- 1. प्रदेश के हाईस्कूलों में कार्यरत अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापिकाओं की पिछले 06 वर्षों से जीआईसी / जीजीआईसी के प्रिंसिपल समूह ख पद पर पदोन्नति नहीं की जा रही है जबकि पदोन्नति कोटे के लगभग 500 से अधिक पद रिक्त हैं। 2. पदोन्नति न होने के कारण एक ओर जहां प्रदेश के राजकीय इंटर कालेज प्रधानाचार्य विहीन संचालित होने की वजह से इन इंटर कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है वहीं दूसरी ओर पदोन्नति के लिए अर्ह अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापक लगातार रिटायर होते जा रहे हैं और कुंठित महसूस कर रहे हैं। 3. पदोन्नति हेतु अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने की न्यूनतम अर्हकारी सेवा 03 वर्ष निर्धारित है। जबकि वर्तमान समय में प्रदेश में लगभग 600 से अधिक प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिकाएं 08 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। 4. माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मात्र औपचारिकता करते हुए दिनांक 12 मार्च 2024 को पदोन्नति हेतु इन प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिकाओं की गोपनीय आख्या मांगी गई किंतु 10 माह का समय पूर्ण हो जाने के उपरांत भी अभी तक डीपीसी नहीं कराई गई है। 5. माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए पदोन्नति के लिए डीपीसी कराने के बजाय उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा वर्ग) सेवा नियमावली 1992 में संशोधन किया जा रहा है और अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापकों का पदोन्नति कोटा 61 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत किया जा रहा है किसी भी कार्मिक की सेवा के दौरान पदोन्नति कोटा कम करके पदोन्नति के अवसरों में कमी किया जाना विधि विरुद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। 6. उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा नियममावली 1992 में खंड शिक्षा अधिकारियों को समूह ख उच्चतर प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु कोई प्राविधान नहीं है। परंतु फिर भी प्रस्तावित नई नियमावली में निरीक्षण संवर्ग के उप विद्यालय निरीक्षक डी.आई. के स्थान पर खंड शिक्षा अधिकारियों को षड्यंत्रपूर्वक अनैतिक लाभ देते हुए शामिल किया जा रहा है और इनका पूर्व से निर्धारित पदोन्नति कोटा 17 प्रतिशत

		से बढ़ाकर 34 प्रतिशत किया जा रहा है। 7. सेवा नियमावली 1992 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार समान ग्रेड पे पाने वाले प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिकाओं एवं डी.आई. को ही समूह ख उच्चतर प्रधानाचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति प्रदान करने का प्राविधान है जिनका वर्तमान ग्रेड पे 5400 है जबकि खंड शिक्षा अधिकारियों का ग्रेड पे 4800 ही है। असमान ग्रेड पे के कार्मिकों का उच्चतर समान पद पर एक साथ पदोन्नति किया जाना असंवैधानिक है। 8. सेवा नियमावली 1992 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रधानाचार्य जीआईसी / जीजीआईसी एवं समकक्ष 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है जबकि वर्ष 2016 से सीधी भर्ती के पदों को भर लिया गया किंतु पदोन्नति कोटे के पदों पर पदोन्नति नहीं की जा रही है जबकि पदोन्नति हेतु किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। 9. पदोन्नति हेतु विगत 06 वर्षों से अर्ह अधीनस्थ राजपत्रित प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिकाएं पदोन्नति के उपरांत प्राप्त होने वाले ग्रेड पे 5400 में ही कार्य कर रहे हैं। पदोन्नति होने से सरकार पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।
8(ग)	उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी है?	पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक(सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली-1992 में उ0प्र0शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह-ख के पद पर 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने का प्राविधान है। उक्त नियमावली में समूह-ख के पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटे के पद पर अधीनस्थ राजपत्रित पुरूष शाखा-61 प्रतिशत, अधीनस्थ राजपत्रित महिला शाखा-22 प्रतिशत एवं निरीक्षण शाखा-17 द्वारा भरे जाने का प्राविधान है। निरीक्षण संवर्ग द्वारा मा0 न्यायालय में याचिका संख्या-1617/2018 उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य, याचिका संख्या-9561 /2021 अर्जुन सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य, याचिका संख्या-1226 (एस0बी0)/2018 पदम शेखर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य एवं सिविल रिट पिटीशन/नोटिस संख्या-3932/एस0बी0/ 2021 लालमणि राम बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य तथा उक्त के अतिरिक्त शिक्षण महिला शाखा द्वारा मा0 न्यायालय में योजित याचिका संख्या-31192/एस0बी0/2017 अलका तिवारी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी है, जिसमें पदों की वृद्धि के उपरान्त संख्या के अनुपात में कोटा संशोधन की याचना की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या-31192 /2017 अलका तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश दिनांक 23-01-2024 के अनुपालन में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
8(घ)	क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेगें?	जी हाँ। उक्तवत्
8(ङ)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

गुलाब देवी
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)